



2026:AHC:52205

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 3578/2026

काजल शुक्लायाची (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्यविपक्षी (गण)

याची के अधिवक्ता: विनय कुमार तिवारी

विपक्षी के अधिवक्ता: सी.एस.सी. (मुख्य स्थायी अधिवक्ता)

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याची के विद्वान अधिवक्ता श्री विनय कुमार तिवारी एवं राज्य-विपक्षियों की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री विवेक सिंह को सुना गया।
2. रिट याची का मामला यह है कि याची कुशीनगर में कांस्टेबल के पद पर तैनात होने का दावा करती है। वह पति-पत्नी के आधार पर मिर्जापुर और जनपद चंदौली, प्रतापगढ़, सोनभद्र तथा कौशाम्बी में स्थानांतरण चाहती है।
3. वर्तमान याचिका में विपक्षियों को उक्त दावे पर विचार करने हेतु निर्देश देने की प्रार्थना की गई है।



4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता का तर्क है कि याची के दावे का प्रथम दृष्टया विपक्षी संख्या 2, अपर पुलिस महानिदेशक (स्थापना) उ.प्र., लखनऊ द्वारा अधिनिर्णय (निस्तारण) किया जाना आवश्यक है।
5. इस दलील पर याची के विद्वान अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है और वह इसे सहर्ष स्वीकार करते हैं।
6. दोनों पक्षों के तर्कों और उनके द्वारा अपनाए गए रुख पर विचार करते हुए, रिट याचिका को इस स्वतंत्रता के साथ निस्तारित किया जा रहा है कि याची विपक्षी संख्या 2 के समक्ष रिट याचिका की स्व-प्रमाणित प्रति के साथ एक व्यापक प्रतिवेदन प्रस्तुत करे। विपक्षी संख्या 2, इसकी प्राप्ति के दो सप्ताह के भीतर, आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर विधि के अनुसार सख्ती से याची के दावे पर विचार करने के लिए आगे बढ़ेंगे। यदि विपक्षी संख्या 2 की यह राय है कि मामले का निर्णय किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा किया जाना है, तो दस्तावेज उन्हें प्रेषित कर दिए जाएंगे।
7. यह उल्लेख करना आवश्यक है कि रिट याचिका का निर्णय विपक्षियों से कोई जवाब मांगे बिना किया गया है। अतः, इस आदेश के पारित होने का अर्थ यह न निकाला जाए कि इस न्यायालय ने मामले के गुण-दोष पर कोई विचार व्यक्त किया है।
8. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

(विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

मार्च 16, 2026

आशु